झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

रिट याचिका (सेवा) सं. 742 वर्ष 2020

सिद्धेश्वर नाथ निराला, उम्र लगभग 51 वर्ष, पुत्र श्री राजा प्रसाद, निवासी पीस रोड, हाली क्रास बाई लेन, लालपुर,डाकखाना थाना लालपुर जिला राँची

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त, सेन्ट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, बीर चन्द्र पटेल मार्ग, पटना डाकखाना तथा थाना-पटना, जिला पटना- 800008:
2. आयकर आयुक्त, राजस्व भवन, मेन रोड, डाकखाना राँची, थाना चुतिया, जिला राँची - 8340001:
3. उपायुक्त आयकर, मुख्यालय (प्रशासन) वीर चंद पटेल मार्ग, पटना डाकखाना तथा थाना-पटना, जिला-पटना-800008
4. सहायक आयुक्त आयकर, मुख्यालय (प्रशासन) बीर चन्द्र पटेल मार्ग, पटना, डाकखाना-तथा थाना पटना, जिला पटना- 800008

----------उत्तरदातागण

कोरम : मा. श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद
मा.श्री न्यायमूर्ति संजय प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री ए. के. साहनी, अधिवक्ता
उत्तरदातागण के लिए : श्री अनुराग विजय अधिवक्ता

आदेश सं. 10 / दिनांक 6 फरवरी 2024

द्वारा सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका अवमान कार्यवाही मामला सं. सीपी/ 051/0046/19 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ, राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-09-2019 का अभिखण्डन करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत उत्तरदातागण के विरूद्ध आरंभ अवमान कार्यवाही को छोड़ दिया गया है।

2. रिट याचिका में किये गये अभिवचनो के अनुसार मामले का संक्षिप्त तथ्य, जिसे परिगाणित किया जाना आवश्यक है यहाँ निम्नवत पठित है:-

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 21-10-1965 को, याचिकाकर्ता के पिता ने आयकर विभाग पटना के विशेष वृत्त में लोवर डिवीजन क्लर्क(एलडीसी) का पद का कार्य भार संभाला था। स्थानान्तरण के पश्चात, वर्ष 1978 में याचिकाकर्ता के पिता ने सहायक आयुक्त आयकर आईटी सर्किल-I, राँची के कार्यालय में कार्यभार संभाला था।

3. 31-10-1996 को याचिकाकर्ता के पिता ने केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम- 38 के प्रावधानो के अन्तर्गत चिकित्सा आधार पर अपने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन किया था।

4. पत्र सं. 9376 दिनांक 23-12-1996 द्वारा, आयकर अधिकारी, मुख्यालय, राँची ने सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राँची से याचिकाकर्ता के पिता के स्वास्थ की जाँच करने के लिए चिकित्सा बोर्ड गठित करने का अनुरोध किया था।

5. सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राँची ने पत्र दिनांक 02-01-1997 द्वारा औषधि तथा नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष से याचिकाकर्ता के पिता की जाँच करने का अनुरोध किया था। तद्नुसार, चिकित्सा बोर्ड ने, याचिकाकर्ता के पिता की जाँच किया था तथा इसमें यह कहते हुए 21-01-1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता का पिता काम करने में असमर्थ है।

6. तत्पश्चात, आदेश दिनांक 28-02-1997 द्वारा याचिकाकर्ता के पिता को 28-02-1997 से नियमावली 1972 के नियम 38 के अधीन चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति दिया था।

7. चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता का पिता मात्र कम पेंशन प्राप्त कर रहा था जो परिवार के मूलभूत जरूरतो को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही था। तद्नुसार 17-04-1997 को याचिकाकर्ता के पिता ने विभाग में याचिकाकर्ता के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया था।

8. मुख्य आयकर आयुक्त पटना के कार्यालय ने 01-12-1997 को अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदकगण की सूची तैयार किया था। याचिकाकर्ता का नाम इसके क्रम सं. 8 पर था।

9. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने मुख्य आयकर आयुक्त के कार्यालय से 04-04-2000 को प्रोफार्मा प्राप्त किया था जिसे इसके द्वारा सम्यक भरा गया था तथा 06-04-2000 को मुख्य आयकर आयुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

10. याचिकाकर्ता के मामले पर विचार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया, लेकिन इन लोगो ने सूची के क्रम सं. 9,14,16, तथा 18 पर प्रकाशित आवेदकगण पर विचार करते हुए क्रम सं. 8 की अनदेखी किया था।

11. तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने मुख्य आयकर आयुक्त पटना के समक्ष अभ्यावेदन किया था। तत्पश्चात, 22-10-2000 को, याचिकाकर्ता ने मुख्य आयकर आयुक्त पटना के कार्यालय से

प्रोफार्मा (भाग ए तथा बी) प्राप्त किया था जिसे सम्यक भरा गया था तथा 09-01-2001 को प्रस्तुत किया गया था। पुनः मामले को समिति के समक्ष रखा गया था तथा याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश नियुक्ति के लिए की गई थी तथा इसका नाम फरवरी 2002 में तैयार सूची के क्रम सं. 4 पर प्रकाशित है।

12. माह अप्रैल 2003 में क्रम सं. 3 पर प्रकाशित अभ्यर्थियो सहित उन अभ्यर्थियो की नियुक्ति याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किये बिना की गई थी जिसके कारण याचिकाकर्ता ने 14-03-2007 को 16-01-2008 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

13. जब अभ्यावेदन के सम्बंध में कोई जवाब नही मिला था, याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो का आश्रय लिया था। आदेश दिनांक 20-02-2008 द्वारा, यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता का अभ्यर्थन इसके पिता के सेवानिवृत्ति के अधिक उम्र के कारण चयन समिति द्वारा नामंजूर किया गया है तथा अधिवर्षिता के तिथि को, याचिकाकर्ता के पिता ने 55 वर्ष तथा 21 दिनो की आयु प्राप्त किया था तथा इसलिए 21 दिनो का विलम्ब था। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि 11-12-2007 को समिति ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु 21 अभ्यर्थियो के नामो की अनुशंशा किया था, लेकिन जहाँ तक इस याचिकाकर्ता का संबंध है, यह कहा गया था कि यह वर्जित है क्योकि याचिकाकर्ता के पिता ने 28-02-1997 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया था।

14. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि मेमो नं.: 14014/6/86- स्थापन (डी) दिनांक 30-06-1987, कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय तथा भारत सरकार के पेंशन विभाग न अधिकथित किया है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति उस सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को दिया जा सकता है जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 38 के अधीन चिकित्सा आधार पर सेवा निवृत्त हो गया है।

15. याचिकाकर्ता के पिता ने काफी पहले “31-10-1996” को चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया था जब इसने 55 वर्ष की आयु पूरा नही किया था। इसलिए, अभिकथित रूप से कारित 21 दिनो का विलम्ब याचिकाकर्ता के पिता की ओर से त्रुटि नही था तथा इस प्रकारका विभागीय विलम्ब अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता के दावा को नामंजूर करने का आधार नही हो सकता था।

16. याचिकाकर्ता ने रिट आवेदन रि.या. (सी) सं. 1483 वर्ष 2009 अधिमानित किया था जिसे 13-04-2015 को खारिज किया गया था।

17. तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ, राँची के समक्ष केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 19 के अधीन आवेदन किया था जिसे ओ.ए.सं. 135 वर्ष 2015 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

18. आदेश दिनांक 27-11-2017 द्वारा, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पीठ राँची ने यह धारित करते हुए पूर्वोक्त ओ.ए.सं. 135 वर्ष 2015 को निपटाया था कि रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब हेतु, पक्षकार द्वारा या सिविल सर्जन द्वारा, याचिकाकर्ता को इससे लाभो को छीनते हुए हानि उठाने नही दिया जा सकता है जिसका वह विधि में हकदार है। याचिकाकर्ता के पिता को उस तिथि से चिकित्सीय असमर्थ के रूप में माने जाने के लिए उत्तरदातागण को निदेश दिया गया था जिस तिथि से इसे सिविल सर्जन के प्रमाणपत्र दिनांक 29-01-1997 द्वारा घोषित किया गया है तथा आवेदक को समुचित लाभो को दिया जाय जैसा वह सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के अनुसार हकदार होता नियम 38 के अन्तर्गत अधिकारियो के बोर्ड के अगली बैठक की तिथि से तीन (3) माह की अवधि जहाँ यह इस प्रयोजन हेतु बैठक करता है।

19. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन दाखिल किया था तथा आयकर विभाग के समक्ष सभी अपेक्षित दस्तावेजो को प्रस्तुत किया था तथा जब याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्तीगण द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया था, याचिकाकर्ता ने विद्वान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष अवमान मामला सीसीपीए सं.: 051/00046 वर्ष 2019 दाखिल किया था।

20. उत्तरदातागण उक्त अवमान मामले में उपस्थित हुए थे तथा अपना कारण बताओ दाखिल किया था।

21. तत्पश्चात, आक्षेपित आदेश दिनांक 19-09-2019 द्वारा विद्वान अधिकरण ने पूर्वोक्त अवमान कार्यवाही को छोड़ दिया था जिसके विरूद्ध वर्तमान रिट याचिका को दाखिल किया गया है।

22. तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का पिता अर्थात राजा प्रसाद आयकर विभाग के अन्तर्गत लोवर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। वह पदीय कर्तव्य के निर्वहन के अनुक्रम में चिकित्सीय रूप से बीमार हो गया है। इस प्रकार, इसे संबंधित सिविल सर्जन द्वारा चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त घोषित किया गया है। लेकिन चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त होने के उक्त घोषणा का लाभ नही दिया गया है, अतः आवेदक ने दो अनुतोषो की माँग करते हुए मूल आवेदन ओए/051/00135/2015 अधिमानित किया है।:-

(i) नियमानुसार अपने पिता के चिकित्सा अविधिमान्य होने के बदले में अनुकंपा नियुक्ति के लाभ हेतु आवेदक के मामले पर विचार करने के लिए उत्तरदातागण को निदेश हेतु

(ii) किसी अन्य आदेश/ आदेशो निदेश/ निदेशो हेतु जैसा न्यायमूर्तिगण न्यायहित में उपयुक्त तथा उचित समझते है।

23. उक्त मूलआवेदन को आदेश दिनांक 27-11-2017 द्वारा निपटाया गया था जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत निम्न निदेशो को पारित किया गया है, त्वरित संदर्भ हेतु पूर्वोक्त आदेश के पैरा 17,18, तथा 19 को यहाँ निम्नवत निर्दिष्ट किया जा रहा है:-

> 17. उपरोक्त के दृष्टिगत, सर्वसम्मति से कर्मचारी का चिकित्सीय जाँच किया गया था तथा 21-01-1997 को अर्थात 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले अनुपयुक्त पाया गया था इस तिथि से जब इसकी चिकित्सा जाँच किया गया था तथा इस प्रकार पाया गया था नियम 38 (वही) के अनुसार अपेक्षित सहायता हेतु इसके पुत्र या पुत्री के बारे में विचार करने के प्रयोजन हेतु इसे चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ घोषित करने में कोई बाधा नही थी। रूप विधान में बाद में जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र मात्र इसके अशक्तता के तथ्य के बारे में अभिस्वीकृति थी जो इसके 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले हुई थी। रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब हेतु, अधिकारियो द्वारा या सिविल सर्जन द्वारा, आवेदक को इसके लाभ को छीनते हुए हानि उठाने नही दिया जा सकता है, वह विधि में हकदार था।
>
> 18. इस प्रकार मामले को दृष्टि में रखते हुए आवेदक को उस तिथि से जब इसे ऐसा सिविल सर्जन द्वारा घोषित किया गया था, जो तथ्य प्रमाणपत्र दिनांक 28-02-1997 द्वारा प्रमाणित था चिकित्सीय रूप से अशक्त घोषित किये जाने के रूप में मानने के लिए उत्तरदातागण को निदेश के साथ ओ.ए. को निपटाया जाता है।
>
> 19. आवेदक को समुचित लाभ दिया जाय क्योकि वह अधिकारियो के बोर्ड के अगली बैठक की तिथि से जहाँ यह प्रयोजन हेतु बैठक करता है तीन माह के अवधि के अन्दर नियम 38, सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अनुसार हकदार होगा।

24. उत्तरदातागण की ओर से अभिकथित उदासीनता से व्यथित रिट याचिकाकर्ता ने प्रावधान जैसा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 17 के अधीन निर्दिष्ट है के अनुसार अवमान कार्यवाही को आरंभ करने के लिए आवेदन अधिमानित किया था।

25. पूर्वोक्त अवमान मामले में, विद्वान अधिकरण ने नोटिस जारी किया था जिससे कारण बताओ दाखिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया जा सके। उत्तरदातागण उपस्थित हुए थे तथा कारण बताओ दाखिल किया गया था।

26. विद्वान अधिकरण ने, उक्त कारण बताओ में किये गये प्रकथन को ध्यान में रखते हुए अवमान को छोड़ दिया है तथा उत्तरदातागण को जारी नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर दिया है,

जिसके विरूद्ध वर्तमान रिट याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है।

27. रिट याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. साहनी ने निवेदन किया है कि अवमान छोड़ने में विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अनुचित आदेश है क्योकि ओए/051/00135/15 में पारित विद्वान अधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित निदेश का अनुपालन नही किया गया है, इसलिए अवमान मामला दाखिल किया गया था लेकिन फिर भी निदेशो का पालन नही किया गया है लेकिन पूर्वोक्त तथ्य को ध्यान में रखे बिना अवमान मामला छोड़ दिया गया है, इसलिए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत है।

28. आयकर विभाग के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग विजय ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया है। इन्होने कारण बताओ में इनके द्वारा लिये गये अन्य बातो के साथ आधार को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया है, जिसकी प्रति पेपर बुक में अनुबद्ध किया गया है, यह कि यह याचिकाकर्ता का मामला नही है कि इसके मामले पर विचार नही किया गया था बल्कि, रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार अनुकंपा आधार पर नियुक्त देने हेतु किया गया था लेकिन नीतिगत निर्णय जैसा कार्यालय ज्ञापन में अन्तर्विष्ट है पर आधारित जिसमें बिन्दु आधारित प्रणाली को अपनाया गया है जिससे अनुकंपा नियुक्ति द्वारा 5 प्रतिशत रिक्ति को भरा जा सके जिसमें रिट याचिकाकर्ता को क्रम सं. 26 पर पाया गया है, इसे अनुकंपा आधार पर इसके नियुक्ति के प्रयोजन हेतु विचार के परिक्षेत्र में नही पाया गया है।

29. विद्वान अधिकरण ने पूर्वोक्त आधार को ध्यान में रखते हुए, चूकि अवमान को छोड़ दिया है जिसे त्रुटि से ग्रसित नही कहा जा सकता है, अतः वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जा सकता है।

30. हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिवचनो एवं अवमान कार्यवाही में विद्वान अधिकरण के समक्ष आयकर विभाग की ओर से दाखिल कारण बताओ सहित इसके साथ अनुबद्ध दस्तावेजो की जानकारी लिया।

31. इस न्यायालय द्वारा, उक्त आदेश के वैधता तथा औचित्य में जाने के पहले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय को प्रदत्त शक्ति को इसमें निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता है जहाँ तक इसका संबंध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से है का प्रयोग मात्र एल चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ तथा अन्य (1997) 3 एससीसी 261 में संप्रकाशित मामले में मा. शीर्ष न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसके

द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत संविधान पीठ ने प्रतिपादना अधिकथित किया है कि अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किये जाने वाले न्यायिक पुर्नविलोकन के शक्ति के अधीन जाँच के अधीन है, पूर्वोक्त निर्णय का सुसंगत पैरा इसमें निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है जो यहाँ निम्नवत पठित है:-

> "99. हमारे द्वारा अपनाये गये तर्क के दृष्टिगत, हम धारित करते है कि अनुच्छेद 323-क का खण्ड 2 (घ) तथा अनुच्छेद 323-ख का खण्ड 3 (घ) उस विचार तक जहाँ तक यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 तथा 32 के अधीन उच्च न्यायालयो तथा उच्चतम न्यायलय के अधिकारिता का अपवर्जन करता है, असंवैधानिक है। अधिनियम की धारा 28 तथा अनुच्छेद 323-क तथा 323-ख के तत्वावधान में अधिनियमिति सभी अन्य विधानो में खण्ड "अधिकारिता का अपवर्जन" इसी विस्तार तक असंवैधानिक होगा। अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायलयो को तथा संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता हमारे संविधान के अलंघनीय मूल भूत संरचना का एक हिस्सा है। जबकि इस अधिकारिता को निकाला नही जा सकता है। अन्य न्यायालय तथा अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 तथा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को निर्वहन में अनुपूरक भूमिका अदा कर सकते है। संविधान के अनुच्छेद 323-क तथा 323-ख के अधीन सृजित अधिकरणो के पास कानूनी प्रावधानो तथा नियमो के संवैधानिक वैधता की जाँच करने की क्षमता है। **फिर भी, इन अधिकरणो का सभी निर्णय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष छानबीन के अधीन होगा जिसके अधिकारिता में संबंधित अधिकरण आता है। फिर भी अधिकरण विधि के उन क्षेत्रो को संबंध में जिसके लिए इन्हे गठित किया गया है लगातार प्रथम बार के न्यायालयो जैसा कार्य करेगा।** इसलिए, वादकारीगण ऐसे मामलो में भी सीधे उच्च न्यायालयो में जाने के लिए स्वतंत्र नही होगे जहाँ ये संबंधित अधिकरण के अधिकारिता की अनदेखी करते हुए कानूनी विधानो के शक्तिमत्ता पर आपत्ति करते है (सिवाय जहाँ विधान जो विशेष अधिकरण सृजित करता है को चुनौती दिया जाता है) अधिनियम की धारा 5(6) वैध तथा संवैधानिक है तथा इसका निर्वचन उस रीति से किया जाना चाहिए जैसा हमने संकेत दिया है।"(बल दिया गया)

32. इसमें पूर्वोक्त पैरा को निर्दिष्ट करने हेतु कारण यह है कि चूकि अवमान कार्यवाही को छोड़ने वाला आदेश उस याचिका में विषय वस्तु है, प्रश्न उठ सकता है कि क्या अवमान कार्यवाही के छोड़ने की जाँच उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति के प्रयोग में की जा सकती है, इसलिए, इस कारण पूर्वोक्त पैरा को निर्दिष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि मा. शीर्ष न्यायालय के संविधान पीठ ने प्रतिपादना अधिकथित किया है कि विद्वान अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति के अन्तर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन छानबीन के अधीन है।

33. इसमें अवमान कार्यवाही छोड़ने का आदेश विषय वस्तु है तथा इस प्रकार, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग

करने के लिए शक्ति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान रिट याचिका को ग्रहण किया है जिससे आक्षेपित आदेश के वैधता तथा औचित्य के संबंध में तार्किक लक्ष्य तक आया जा सके।

34. अवमान कार्यवाही को ओए/051/00135/2015 में विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-11-2017 के अभिकथित अननुपालन हेतु दाखिल किया गया है जिसे दो अनुतोषो जैसा एतस्मिन उपरोक्त उत्कथित तथा निर्दिष्ट है की माँग करने के लिए दाखिल किया गया है। निदेश इसमें इसके पैरा 17,18,तथा 19 के अनुसार पारित किया गया था जिसे एतस्मिन उपरोक्त उत्कथित तथा निर्दिष्ट किया गया है। 35. आदेश के प्रभावी भाग से यह स्पष्ट है कि मूल आवेदन को निपटाते समय उत्तरदातागण को आवेदक को उस तिथि से चिकित्सीय रूप से अशक्त घोषित किया जाना मानने के लिए निदेश पारित किया गया था जिस तिथि से इसे ऐसा सिविल सर्जन द्वारा घोषित किया गया था, जो तथ्य प्रमाण पत्र दिनांक 21-02-1997 द्वारा प्रमाणित है।

36. पैरा 19 में निदेश समुचित लाभ देने का था जैसा वह अधिकारियो के बोर्ड के अगली बैठक की तिथि से जहाँ यह इस प्रयोजन हेतु बैठक करता है तीन माह के अवधि के अन्दर नियम 38, सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अनुसार हकदार होगा।

37. फिर भी, पैरा 17 में संप्रेक्षण किया गया है कि अपेक्षित सहायता हेतु इसके पुत्र या पुत्री के बारे में विचार करने के प्रयोजन हेतु इसे चिकित्सीय रूप से अशक्त घोषित करने में कोई बाधा नही थी।

38. पूर्वोक्त आदेश दिनांक 27-11-2017 जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत उस तिथि से सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 38 के अनुसार अपेक्षित सहायता हेतु कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के मामले के विचारार्थ संप्रेक्षण किया गया था के पैरा 17 में इस प्रकार किये गये संप्रेक्षण के अनुसरण में याचिकाकर्ता कर्मचारी की चिकित्सीय जाँच की गई थी तथा इस प्रकार पाया गया था।

39. पूर्वोक्त अवमान मामले में विद्वान अधिकरण के समक्ष शिकायत उठाई गई थी कर्मचारी के पुत्र को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नही दिया गया था।

40. विद्वान अधिकरण ने कारण बताओ दाखिल करने के लिए उत्तरदातागण को बुलाया था तथा इसके अनुसरण में कारण बताओ दाखिल किया गया था।

41. कारण बताओ में, अन्य बातो के साथ आधार लिया गया था कि आवेदक/ रिट याचिकाकर्ता (कर्मचारी के पुत्र) के मामले पर विचार सम्यक गठित समिति के समक्ष इसके

विवरणो को भेजते हुए किया गया था जिसमें समिति ने पाया है कि आवेदक/ रिट याचिकाकर्ता ने योग्यता सूची के क्रम सं. 26 पर स्थान प्राप्त किया था। चुकि 5 प्रतिशत रिक्ति को अनुकंपा आधार के अधीन भरा जाना था, अतः केवल 09 रिक्तियो को भरा गया है। याचिकाकर्ता के क्रम सं. 26 पर होने के नाते अनुकंपा आधार पर नियुक्ति इसे नही दिया गया है।

42. विद्वान अधिकरण ने, पूर्वोक्त तथ्य को ध्यान में रखने के बाद, अवमान कार्यवाही को छोड़ दिया है। अवमान कार्यवाही मामला सं. सीपी/051/00046/19 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ, राँची द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश दिनांक 19-09-2019 को चुनौवी दिया गया है।

43. विधि सुस्थापित है कि जहाँ तक अवमान कार्यवाही का संबंध है, यह न्यायालय तथा प्रस्तावित अवमान कर्ता के बीच की कार्यवाही है तथा यही कारण है कि अवमान मामले को ग्रहण करते समय, संबंधित न्यायालय द्वारा कारण बताओ जारी किया गया है जिससे इस निष्कर्ष पर आया जा सके कि क्या न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अन्तर्गत अवमान हेतु कार्यवाही आरंभ करने के लिए शक्ति रखने वाले विधि न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई विमर्शित या जानबूझकर अननुपालन किया गया है।

44. विद्वान अधिकरण, ने कारण बताओ में लिये गये आधार पर विचार करने के पश्चात जिसमें रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार आदेश दिनांक 27-11-2017 के पैरा 17 में इस प्रकार किये गये संप्रेक्षण पर आधारित अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु किया गया था लेकिन इसे कुल संवर्ग संख्या 5 प्रतिशत तक सीमित रिक्ति को भरने के लिए उद्दिष्ट कोटा के अन्तर्गत नही पाया गया था, चूकि रिट याचिकाकर्ता को क्रम सं. 26 पर पाया गया था जबकि मात्र 9 रिक्तियो का मूल्यांकन कुल संवर्ग रिक्ति के 5 प्रतिशत के अन्तर्गत किया गया है जिसे भरा जाना था।

45. पूर्वोक्त मूल्यांकन कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08-04-2015 के अनुसार बिन्दु आधारित मानक पर आधारित है जिसने निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से योग्यता पर अनुकंपा नियुक्ति के मामलो के मूल्यांकन हेतु बिन्दु आधारित मानक आरंभ किया है।

46. विधि सुस्थापित है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नीतिगत निर्णय के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यदि संबंधित स्थापन द्वारा चालू किया जाता है।

47. यह विवादित नही है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर विचार करना तथा दिया जाना इसके लिए अभिप्रेत स्कीम के आधार पर होना चाहिए। इस संबंध में, कनारा बैंक तथा एक

अन्य बनाम एम महेश कुमार (2015) 7 एससीसी 412 में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के संबंध में संदर्भ किया जा सकता है, जिसमें विचारार्थ प्रश्न आया था कि क्या अनुग्रह पूर्वक भूगतान का उपबंध करने वाले 2005 में पारित स्कीम या अनुकंपा नियुक्ति का उपबंध करने वाले 1993 में प्रचलित स्कीम प्रत्यर्थी के संबंध में लागू होता है (पैरा 12)

48. स्कीम के प्रयोज्यता के बारे में विवाद्यक पर विचार मा. शीर्ष न्यायलय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बनाम जसपाल कौर, (2007) 9 एससीसी 571 में दिये गये एक दूसरे निर्णय में किया गया है, जिसमें यह अधिकथित किया गया है कि विशेष वर्ष के स्कीम के अन्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति के दावे का विनिश्चय पश्चातवर्ती स्कीम के आलोक में नही किया जा सकता है जो दावा के काफी बाद प्रवर्तन में आया था।

49. मा. शीर्ष न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बनाम जसपाल कौर (ऊपर) के अधिकथित सिद्धांत को लागू करते हुए कनारा बैंक तथा एक अन्य बनाम एम. महेश कुमार (ऊपर) में तथ्यात्मक पहलू पर विचार किया है, जिसमें उक्त मामले का तथ्य यह है कि आश्रित का पिता 10-10-1998 को तब मर गया था जब वह बैंक में बतौर क्लर्क कार्यरत था तथा आश्रित ने "कार्य के दौरान मुत्यु स्कीम" दिनांक 08-05-1993 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति हेतु यथा समय आवेदन किया था जो उस समय पर प्रवर्तन में था। बैंक ने यह लेखबद्ध करते हुए 30-06-1999 को आश्रित के दावा को नामंजूर कर दिया था कि आश्रित को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई दीनहीन परिस्थितियाँ नही है। पुनः07-11-2001 को, बैंक ने आश्रित के नियोजन के विवाद्यक के संबंध में विशिष्टियो की माँग किया था। भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बनाम जसपाल कौर (ऊपर) के मामले में अधिकथित सिद्धांतो के आलोक में अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किये जाने योग्य वाद हेतु पैदा हुआ था जब परिपत्र सं. 154 वर्ष 1993 दिनांक 08-05-1993 प्रवर्तन में था। इस प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बनाम जसपाल कौर में निर्दिष्ट निर्णय के अनुसार, दावा का विनिश्चय अनुग्रहपूर्वक भुगतान का उपबंध करने वाले 2005 स्कीम के अनुसार नही किया जा सकता है। परिपत्र दिनांक 14-02-2005 का प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश होने के नाते भूतलक्षी प्रभाव नही हो सकता है जिससे परिपत्र 1993 के अनुसार प्रत्यर्थी को प्राप्त अधिकार को छीना न जा सके।

50. यद्यपि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ता के मामले के विचारार्थ कोई विनिर्दिष्ट निदेश नही है जैसा आदेश दिनांक 27-11-2017 के पैरा 17 से प्रतीत होता है, उल्टे पैरा 18 तथा 19 के अनुसार विनिर्दिष्ट निदेश द्वारा सीसीएस (पेंशन) नियमावली के

नियम 38 के के प्रावधान के अन्तर्गत निर्णय लेना होता है। लेकिन, तब भी रिट याचिकाकर्ता के मामले को स्कीम के अनुसरण में ध्यान में रखा गया है जैसा सुसंगत समय के दौरान प्रचलित था जो मृतक कर्मचारी के आश्रित के आर्थिक जीवनक्षमता पर विचार करते हुए बिन्दु आधारित प्रणाली के आधार पर था।

51. पूर्वोक्त सिद्धांत के आधार पर समिति के याचिकाकर्ता का मामला पूर्वोक्त योग्यता सूची के क्रम सं. 26 पर रखते हुए पाया है। पूर्वोक्त स्कीम में यह भी है कि कुल संवर्ग संख्या के रिक्ति का 5 प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति द्वारा भरा जाना था जो 09 रिक्तियो तक आया है।

52. चूकि रिट याचिकाकर्ता योग्यता सूची में क्रम सं. 26 पर था तथा मात्र 09 रिक्तियो को भरा जाना था, इसलिए, याचिकाकर्ता को अनुकंपा आधार पर नियुक्त नही किया गया था।

53. विद्वान अधिकरण ने पूर्वोक्त तथ्य को ध्यान में रखा है तथा इसे ध्यान में रखते हुए, अवमान कार्यवाही को छोड़ दिया है तथा संबंधित प्रत्यर्थी को जारी नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर दिया है।

54. चूकि हम न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग कर रहे है जिसके लिए विधि की स्थिति सुस्थापित है कि यदि आदेश को देखते ही त्रुटि स्पष्ट है या आदेश अधिकारिता के अभाव से ग्रसित है, तब (2019) 18 एससीसी 39 में संप्रकाशित पश्चिम बंगाल केन्द्रीय विद्यालय सेवा आयोग तथा अन्य बनाम अब्दुल हलीम तथा अन्य के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा अधिकथित विनिश्चयाधार के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें, पैरा 30 पर यह निम्नवत अभिनर्धारित किया गया है:-

> “30. न्यायिक पुनर्विलोकन के अपने शक्ति के प्रयोग में, न्यायालय को यह विचार करना होता है कि क्या आक्षेपित निर्णय विधि के स्पष्ट त्रुटि द्वारा संदूषित है। यह अवधारित करने के लिए जाँच कि क्या निर्णय अभिलेख को देखते ही स्पष्ट त्रुटि द्वारा संदूषित है या क्या त्रुटि अभिलेख को देखते ही स्वतः स्पष्ट है या क्या त्रुटि को साबित करने के लिए जाँच या तर्क आवश्यक है। यदि त्रुटि को बिन्दुओ पर तर्क के प्रक्रिया द्वारा साबित किया जाना चाहिए जहाँ युक्तियुक्त रूप से दो राय हो सकती है, इसे अभिलेख को देखते ही त्रुटि नही कहा जा सकता है जैसा एआईआर 1960 एससी 137 में संप्रकाशित सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। यदि कानूनी नियम का प्रावधान युक्तियुक्त रूप से दो या अधिक अर्थान्वयन के बारे में सक्षम है तथा एक अर्थान्वयन को अपनाया गया है, निर्णय रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए खुला नही होगा। यह मात्र सुसंगत कानूनी प्रावधान का स्पष्ट गलत निर्वचन है या इसकी अज्ञानता या उपेक्षा है या कारणो पर आधारित निर्णय जो स्पष्ट रूप से विधि में गलत है, जिसे उत्प्रेषण रिट जारी करते हुए रिट न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है।

55. इसी प्रकार, **(1955) 1 एससीआर 250 में संप्रकाशित टी.सी. बासप्पा बनाम टी. नागप्पा** के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा निम्नवत अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "स्वंय निर्णय या अवधारण में त्रुटि उत्प्रेषण रिट के अधीन हो सकता है लेकिन इसे कार्यवाहियो को देखते ही स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए उदाहरणार्थ जब यह विधि के प्रावधानो के स्पष्ट अज्ञानता या उपेक्षा पर आधारित होता है। दूसरे शब्दो में, यह स्पष्ट त्रुटि है जिसे उत्प्रेषण द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन मात्र गलत निर्णय नही"

56. पूर्वोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए यदि इस प्रकार के आदेश को देखते ही त्रुटि स्पष्ट हो।

57. न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग करने के लिए पूर्वोक्त मानक के आधार पर इस न्यायालय का विचार है जो कारण पर आधारित है जैसा एतस्मिन उपरोक्त निर्दिष्ट है, कि यह ऐसा मामला नही है जहाँ इस रिट याचिका को आक्षेपित विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

58. तद्नुसार, वर्तमान अपील को एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)
(संजय प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)